प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

नम्बर हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
/8/25	वकुलाए उभ०/बहस हेतु अवसर चाहा गया। फर्द दस्तावेज वकील अप्रार्थी ने पेश किये। पत्रावली वास्ते बहस आन्तिम दि. 13/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/8/25	वकुलाए अनु.। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश हो। पत्रावली वास्ते बहस आन्तिम हेतु दिनांक 26/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/9/25	वकुलाए उभ० बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज [illegible] पीठासीन अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे से तरं[illegible] [illegible] कार्य से व्यस्त हैं। अभिभाषकगण कान्फ्रेंस पर हैं। [illegible] आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 1/10/25 को पेश [illegible] (हस्ताक्षर)	
1/10/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
150/प्रा0पत्र/2024	04.03.2024	01.10.2025

पृथ्वीराज आयु 42 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. बंशीलाल आयु 50 वर्ष
2. राजेश आयु 35 वर्ष
3. हनुमान आयु 32 वर्ष
4. नरेन्द्र आयु 30 वर्ष पिसरान जुवारी लाल जातियान जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री महेश शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी :– श्री रविदत्त शर्मा

निर्णय
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत् 2076 के अनुसार खाता संख्या नया 366 पुराना 311 की आराजी खसरा संख्या 741 रकबा 2.2258 हैक्टे0 वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा एवं जिला बून्दी राज0 में स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में सरकार खातेदार हिस्सा 32/55 हनुमान प्रसाद पुत्र बंशीलाल हिस्सा 23/55 खातेदार राहिन तथा राहिन सरकार 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। उक्त भूमि पर दिनांक 26.01.1968 से प्रार्थी के पूर्वज सअधिकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें थे तथा उक्त भूमि प्रार्थी के पिता स्व0 हीरालाल आत्मज लोदू को पारिवारिक बंटवारें में प्राप्त हुई थी। पूर्व में उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता तथा उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थी उक्त भूमि को उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी तथा प्रार्थी से पूर्व उसके पिता हीरालाल आत्मज लोदू जाट निवासी जलोदी दिनांक 26.01.1968 से तत्कालीन खातेदार श्री छीतरलाल आत्मज भंवरलाल महाजन निवासी जलोदी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र काबिज चले आ रहे है। वर्तमान में प्रार्थी का तथा उससे पूर्व प्रार्थी के पूर्वजों का उक्त भूमि पर सअधिकार कब्जा काश्त होने से प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि को उपयोग–उपभोग में लेने में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही अन्यों से बाधा उत्पन्न करावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20.02.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने एवं उक्त भूमि पर खड़ी फसल को काटकर ले जाने की धमकी देने से निरन्तर उत्पन्न होता रहा है। अतः न्यायालय श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थी के स्वतंत्र उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थी को फसल बोने व काटने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं.2 में वर्णित कथन वाद विषयक कृषि भूमि होना स्वीकार है तथा रेकार्ड राजस्व में खातेदार हिस्सा सरकार एवं हनुमान पुत्र बंशीलाल हिस्सा होना एवं राहिन सरकार दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से कानूनन रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विशेष कथन अप्रार्थीगण की ओर से अन्य आक्षेप में अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं वाद पत्र में राजस्व रेकार्ड में वर्णित कृषि भूमि जमाबन्दी के अनुसरण में सरकार राहिन के रूप में अंकित होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया है तथा हनुमान पुत्र बंशीलाल हिस्सा 23/55 अंकित होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया है जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन मिथ्या अंकित किया है जिसमें पूर्वजो के समय से काश्त करना बताया है जबकि प्रार्थी का उपरोक्त उनवान विषयक कृषि भूमि में पहले एवं वर्तमान में कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा कब्जे के अभाव में दावा 188 चलने योग्य नहीं है। वाद विषयक कृषि भूमि खसरा सं. 741 रकबा 14 बीघा में से दक्षिण तरफ की 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि को 60,000 –रूपयें प्रति बीघा की दर से एवं इसके लगवा सिवाईचक आराजी रकबा 10 बिस्वा को 30,000/– रूपयें प्रति बीघा की दर से कुल

,000/– रूपयें का प्रतिफल प्राप्त कर अप्रार्थीगण के पिता जवाहरलाल पुत्र चर्तुभुज जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी के पक्ष ...नान कर दिया गया है। जिसमें 4,25,000/– रूपयें प्रतिफल कृषि भूमि लिया जाकर बेचान इकरार नामा विक्रय विलेख दिनांक 12.5.2003 को अप्रार्थीगण के पक्ष में 100/–रूपयें का नान जुडिशियल स्टाम्प लिखा जाकर गवाहान भँवरलाल, बद्रीलाल तथा विक्रेता हीरालाल जिसमें प्रार्थी पृथ्वीराज के हस्ताक्षर अंकित है तथा दिनांक 12.5.2003 को हस्ताक्षर नोटेरी करवाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में दस्तावेज भूमि कब्जा भोतिक रूप से सम्भलाना अंकित किया है शेष प्रतिफल राशि 1,00000/–रूपया दिनांक 16.1.2007 को प्राप्त कर लिये है तथा दिनांक 22.1.2007 को प्रार्थी ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने बाबत दस्तावेज अप्रार्थीगण के पक्ष मे लिखा जाने के कारण अप्रार्थीगण विधिक रूप से मोके पर वाद विषयक कृषि भूमि पर काबिज काश्त है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन अंकित कर मिथ्या वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। दस्तावेज स्टाम्प फोटो प्रति संलग्न है। अन्य आक्षेप की चरण संख्या 2 के अनुरूप अप्रार्थीगण विधिक रूप से वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 741 रकबा 14 बीघा में से रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में काबिज काश्त होकर चले आ रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण के पक्ष में वाद विषयक कृषि भूमि पर विधिक रूप से काबिज होने तथा भोतिक रूप से कब्जे काश्त करने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया कब्जा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्च सहित खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी पर काबिज काश्त होने से व अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने पर आमादा होने से अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि जमाबन्दी के अनुसरण में सरकार राहिन के रूप में अंकित होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया है तथा हनुमान पुत्र बंशीलाल हिस्सा 23/55 अंकित होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया है जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का उपरोक्त उनवान विषयक कृषि भूमि में पहले एवं वर्तमान में कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा कब्जे के अभाव में दावा 188 चलने योग्य नहीं है। बेचान इकरार नामा विक्रय विलेख दिनांक 12.5.2003 को अप्रार्थीगण के पक्ष में 100/–रूपयें का नान जुडिशियल स्टाम्प लिखा जाकर गवाहान भँवरलाल, बद्रीलाल तथा विक्रेता हीरालाल जिसमें प्रार्थी पृथ्वीराज के हस्ताक्षर अंकित है तथा दिनांक 12.5.2003 को हस्ताक्षर नोटेरी करवाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में दस्तावेज भूमि कब्जा भोतिक रूप से सम्भलाना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन अंकित कर मिथ्या वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी के रेकार्डेड खातेदार सरकार खातेदार हिस्सा 32/55 एवं हनुमान प्रसाद पुत्र बंशीलाल हिस्सा 23/55 को प्रार्थी द्वारा पक्षकार क्यो नही बनाया गया। प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी पर किस प्रकार हक अधिकार है इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं प्रार्थी के पक्ष में ***प्रथम दृष्टया मामला*** प्रमाणित नही होता है। चुंकि प्रार्थी वाद वर्णित आराजी का रेकार्डेड खातेदार नही है अंकित तथ्यो अनुसार कब्जा काश्त के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में ***सुविधा का सन्तुलन*** एवं ***अपूरर्णीय क्षति*** के बिन्दु पर विचार किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। मुल वाद विचरण के दौरान साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर वांछित अनुतोष दिया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है किन्तु प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यो एवं प्रस्तुत जवाब प्रा0पत्र एवं पेश दस्तावेज के अवलोकन से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रा0पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा